

23-10-2024

पत्रावली प्राथीगण एवं वकील प्राथी के आवेदन पर बिगद से तलब की गई। प्रकरण में प्राथीगण एवं वकील प्राथी ने एक प्रा.पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्राथीगण व विपक्षीगण के मध्य आपसी राजीनामा हो जाने से प्राथीगण उक्त प्रा.पत्र में प्रागे कोई आर्यवादी नहीं चाहते हैं, इस आशय का प्रा.पत्र प्रस्तुत किया। प्राथीगण व वकील प्राथी द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र का अवलोकन किया गया बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में स्वयं प्राथीगण उक्त प्रा.पत्र में और कोई आर्यवादी नहीं चाहने से प्राथी का प्रा.पत्र की आर्यवादी इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। प्रकरण में पूर्व में जारी एक पक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 31/07/2023 को स्वतः निरस्त माना जावे। पत्रावली कुसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो।

बदामका
जीताबाद
जगदीश/जेशी
पूर्व
[Signature]

1/11/24
सफाई अधिकारी पदेन
सहायक कमक्टर करेडा